संचिका संख्या–01/स्था०राज०–325/2025–
बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– फरवरी, 2025

विषय : **श्री सौरभ सिन्हा, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गई अवधि दिनांक–27.09.2024 से 22.11.2024 तक का विनियमन स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–734 दिनांक–06.09.2024 के अनुपालन में श्री सौरभ सिन्हा, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी दिनांक–27.09. 2024 को अपना योगदान गन्ना उद्योग विभाग में दिया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या–1097 दिनांक–22.11.2024 के द्वारा श्री सौरभ सिन्हा नवनियुक्त ईख पदाधिकारी को योगदान की तिथि–27.09.2024 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद पर पदास्थापित किया गया है। जिसके आलोक में श्री सौरभ सिन्हा ने ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ का प्रभार दिनांक–23.11.2024 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार श्री सिन्हा दिनांक–27.09.2024 से 22.11.2024 तक पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में रहे हैं।

अतएव वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 दिनांक–26.12.2003 के आलोक में श्री सिन्हा, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ का दिनांक–27.09.2024 से 22.11.2024 तक कुल 57 (सन्तावन) दिनों का प्रभार रहित अवधि को पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(अरूण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–325/2025– पटना, दिनांक– फरवरी, 2025

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/श्री सौरभ सिन्हा, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ/श्रीमती शालीनता रानी, आई०टी०प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभगा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signed by Arun Kumar
Date: 11-02-2025 18:08:06

अवर सचिव।